न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 02/2021

वादीगण	वनाम	प्रतिवादी
1 दमाराम 2 पुरखाराम पिसरान सोनाराम जाति जाट निवारी सुथारों का तला (गरल) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 सोनाराम पुत्र लालाराम 2 शिवजीराम 3 बाबूलाल पिसरान हेमाराम 4 चूनी पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला (गरल) 5 सिणगारी पुत्री वीरमाराम पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी डूगेरों का तला 6 गुमनी पुत्री वीरमाराम पत्नी पूनमाराम जाति जाट निवासी लोरटी हाईट (उण्डखा) 7 टुगी पुत्री वीरमाराम पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती (नांद) 8 पालू पुत्री वीरमाराम पत्नी आम्बाराम जाति जाट निवासी मायलों का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाडमेर 9 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा महाबार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।

2. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 10/03/21

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लालाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा सुथारों का तला पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 64.12 बीघा, खसरा संख्या 331 रकबा 0.08 बीघा व खसरा संख्या 623/332 रकबा 243.06 बीघा कुल रकबा 308.06 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि लालाराम के फौतगी पर सोनाराम के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 सोनाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उतराधिकारा अधिनियम की धारा 06 के अनुसार जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 सोनाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकवाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी सोनाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/9–1/9 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/9–1/9 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर

वादी संख्या 01 दमाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दियां, नक्शा, नकल बन्दोबस्त तथा नामान्तकरण की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–5 है। वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ हिस्सा जन्म से निहित है, उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी सोनाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 प्रदर्श–04 एवं जमाबन्दी संतव 2074 से 2077, प्रदर्श–01 व प्रदर्श–02 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों का तला पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 64.12 बीघा, खसरा संख्या 331 रकबा 0.08 बीघा कुल रकबा 65.00 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 सोनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। खेत खसरा संख्या 623/332 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 सोनाराम सोनाराम जो 1622/4866 हिस्सा भूमि का खातेदार है, के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी संख्या 01 का 540/4866, वादी संख्या 02 का 540/4866 तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 542/4866 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बाड़मेर

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 10-3-21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	वनाम	प्रतिवादी
1 दमाराम 2 पुरखाराम पिसरान सोनाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला (गरल) तहसील व जिला बाडमेर।		1 सोनाराम पुत्र लालाराम 2 शिवजीराम 3 बाबूलाल पिसरान हेमाराम 4 चूनी पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला (गरल) 5 सिणगारी पुत्री वीरमाराम पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी डूगेरों का तला 6 गुमनी पुत्री वीरमाराम पत्नी पूनमाराम जाति जाट निवासी लोरटी हाईट (उण्डखा) 7 टुगी पुत्री वीरमाराम पत्नी रामाराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती (नांद) 8 पालू पुत्री वीरमाराम पत्नी आम्बाराम जाति जाट निवासी मायलों का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाडमेर 9 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा महाबार बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 02/2021

निर्णय दिनांक :– 10/03/21

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/03/21 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों का तला पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 320 रकबा 64.12 बीघा, खसरा संख्या 331 रकबा 0.08 बीघा कुल रकबा 65.00 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 सोनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। खेत खसरा संख्या 623/332 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 सोनाराम सोनाराम जो 1622/4866 हिस्सा भूमि का खातेदार है, के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी संख्या 01 का 540/4866, वादी संख्या 02 का 540/4866 तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 542/4866 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 10/03/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सहायक कलक्टर (S.D.O.) बाडमेर)

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड	